इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वन अकादमी
Indira Gandhi National Forest Academy
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India
डाकघर- न्यू फॉरेस्ट, देहरादून / P.O. New Forest, Dehradun - 248006
दूरभाष/Ph.- 0135-2757316 / फैक्स/Fax- 0135-2757314,
वेबसाइट/website- www.ignfa.gov.in / ई-मेल/email- director@ignfa.gov.in

सत्यमेव जयते

संख्या/No.-2544-2551/2026/रा.व.अ./0.2 (तिमाही बैठक-2) दिनांक/Dated: 16 .09.2026

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून की
विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 97वीं बैठक का कार्यवृत्त

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वन अकादमी की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 97वीं बैठक **डॉ० राजेन्द्र प्रसाद खजूरिया, निदेशक, आईजीएनएफए** की अध्यक्षता में **08.09.2026** को 04.00 बजे (अप.), अकादमी के बोर्डरूम में सम्पन्न हुई। बैठक में अधोलिखित अधिकारियों/सदस्यों ने भाग लिया -

1. श्री एन०सी० सरवणन - अपर निदेशक
2. श्री कमलजीत सिंह - प्राध्यापक
3. श्रीमती सरिता कुमारी - प्राध्यापक
4. श्री प्रशान्त ढांडा - अपर प्राध्यापक
5. श्रीमती अजीता लौंगजम - सह प्राध्यापक एवं पाठ्यक्रम निदेशक (2025 बैच)
6. श्री ऐश्वर्य राज - सह प्राध्यापक एवं प्रभारी अधिकारी राजभाषा
7. डॉ० अजय कुमार सुमन - पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी
8. श्री अमित कुमार रुहेला - कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी

मद सं.1 : पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि -

बैठक का आरंभ अध्यक्ष द्वारा सभी सदस्यों के स्वागत से हुआ; तदुपरांत बैठक की कार्यसूची पर मदवार चर्चा आरंभ की गई। 1 अप्रैल से 30 जून 2026 की तिमाही के दौरान विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 96वीं तिमाही बैठक 12.06.2026 को सम्पन्न हुई थी जिसका कार्यवृत्त अकादमी के सभी संकाय सदस्यों/अधिकारियों एवं कार्यालयों में अनुवर्ती कार्रवाई हेतु परिचालित करा दिया गया था। चर्चा के दौरान इस पर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ; अतः अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी सदस्यों की सहमति से पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि कर ली गई।

मद सं. 2 : पिछली तिमाही (1 अप्रैल से 30 जून 2026) की तिमाही-रिपोर्ट की समीक्षा -

1 अप्रैल से 30 जून 2026 की तिमाही की राजभाषा विषयक रिपोर्ट की समीक्षा के दौरान समिति को अवगत कराया गया कि अकादमी द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम-5 का पूर्णतः अनुपालन किया जा रहा है तथा अंग्रेजी में प्राप्त होने वाले पत्रों के उत्तर भी हिन्दी में ही दिये जा रहे हैं। यह भी अवगत कराया गया कि विगत तिमाही के दौरान अकादमी से 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्र के साथ शत-प्रतिशत पत्राचार हिन्दी में किया गया है। इन क्षेत्रों के लिए निर्धारित लक्ष्य क्रमशः 100%, 100% तथा 70% है। अध्यक्ष महोदय द्वारा रिपोर्ट पर प्रसन्नता व्यक्त की गई और इस स्थिति को बनाए रखने का निदेश भी दिया गया।

(कार्रवाई- समस्त संकाय सदस्य एवं प्रभारी अधिकारी)

मद सं. 3: पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों/आदेशों पर अनुवर्ती कार्रवाई -

अध्यक्ष महोदय द्वारा पिछली बैठक के निर्णयों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई और निम्नलिखित निदेश पारित किए गए -

i) वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान पुस्तकालय द्वारा हिन्दी पुस्तकों की खरीद पर 50% व्यय का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए। (कार्रवाई : अध्यक्ष, पुस्तकालय समिति तथा पुस्त. एवं सूचना अधिकारी)

क्रमशः 2...

ii) अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि अकादमी के प्रशिक्षण अधिकारी हिंदी के पद को भरने / पुनर्जीवित करने के संबंध में मंत्रालय से पत्राचार चल रहा है। इस विषय में मंत्रालय से आधिकारिक रूप से प्राप्त होने वाले पत्रों पर यथेष्ट कार्रवाई की जाएगी। **(कार्रवाई : प्रभारी अधिकारी प्रशासन)**

iii) प्रशिक्षण सामग्री के अनुवाद के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि अकादमी के पुस्तकालय में उपलब्ध लेक्चर नोट्स की पहचान कर उनका अनुवाद इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से तथा यथाआवश्यकता भौतिक रूप से कर लिया जाए। **(कार्रवाई : प्राध्यापक - अकादमिक एवं प्रभारी पुस्तकालय/पुस्त.सूचना अधिकारी)**

मद सं. 4: 17 जून 2026 को मंत्रालय स्तर पर अकादमी के निरीक्षण के उपरांत प्राप्त समीक्षा रिपोर्ट पर चर्चा -

अध्यक्ष महोदय के समक्ष, गत 17 जून को मंत्रालय द्वारा किए गए अकादमी के राजभाषा संबंधी निरीक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अध्यक्ष महोदय द्वारा इस पर प्रसन्नता व्यक्त की गई कि रिपोर्ट के सभी बिन्दुओं पर मंत्रालय द्वारा अकादमी के कार्य को सराहा गया है।

साथ ही, उनके द्वारा इस रिपोर्ट के बिन्दु सं. 15 पर ध्यान आरोपित कराया गया जिसमें मंत्रालय द्वारा कहा गया है कि अकादमी के समस्त कार्य के लिए केवल एक अनुवादक का पद कम है और साथ ही यह भी कहा गया है कि अकादमी के प्रशिक्षण अधिकारी हिन्दी के पद को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि हिन्दी के पदों को समाप्त किए जाने के संबंध में वित्त मंत्रालय के नियम लागू नहीं होते। अत: अध्यक्ष महोदय द्वारा इन बिन्दुओं को मंत्रालय के संज्ञान में लाने और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया। **(कार्रवाई- प्रभारी अधिकारी - प्रशासन)**

मद सं. 5: 14 सितंबर 2026 (हिन्दी दिवस) के उपलक्ष्य में होने वाले आयोजनों की रूपरेखा पर चर्चा -

हिन्दी दिवस 2026 के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले हिन्दी पखवाड़े के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिए गए -

i. पखवाड़े का आयोजन 14 से 29 सितंबर 2026 तक किया जाएगा।
ii. पिछले वर्ष विभिन्न वर्गों हेतु आयोजित प्रतियोगिताओं के साथ-साथ 2025 बैच के भावसे परिवीक्षार्थियों के लिए **कविता पाठ प्रतियोगिता** तथा वर्तमान में प्रशिक्षणरत पीएसयूसी प्रतिभागियों के लिए **आशुभाषण प्रतियोगिता** का आयोजन किया जाए।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी सदस्यों को हिन्दी दिवस की पूर्वसंध्या पर बधाई देते हुए आशा व्यक्त की गई कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी इस अवधि में अपना शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में करना सुनिश्चित करेंगे और पखवाड़े के दौरान आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़कर भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि हिन्दी में कार्य करते हुए सरल और सुबोध हिन्दी का प्रयोग किया जाए। यदि किसी को हिन्दी लिखने में समस्या हो तो पहले छोटे-छोटे नोट हिन्दी में लिखने से शुरूआत करें।

बैठक के अंत में राजभाषा प्रभारी द्वारा अध्यक्ष महोदय तथा उपस्थित सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया तथा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की समाप्ति की घोषणा की गई।

(ऐश्वर्य राज / Aishwarya Raj)
सह प्राध्यापक एवं प्रभारी अधिकारी (रा.भा.)
Associate Professor & OIC-O.L.

वितरण (सूचनार्थ एवं कार्रवाई हेतु) -

1.	निदेशक एवं अपर निदेशक के वैय. सहायक	-	महोदय की सूचनार्थ
2.	प्रभारी प्राध्यापक (अकादमिक)	-	सूचनार्थ एवं 3(iii) पर कार्रवाई के अनुरोध सहित।
3.	अध्यक्ष, पुस्तकालय समिति	-	सूचनार्थ एवं 3(i) पर कार्रवाई के अनुरोध सहित।
4.	समस्त संकाय सदस्य एवं अधिकारीगण	-	सूचनार्थ और उपर्युक्तानुसार कार्रवाई हेतु
5.	प्रभारी अधिकारी (प्रशासन)	-	उक्त मद सं. 3(ii) तथा 4 पर कार्रवाई के अनुरोध सहित।
6.	सहायक (कार्यालय)	-	सूचनार्थ और सभी कार्मिकों के संज्ञान में लाने हेतु
7.	आईटी अनुभाग	-	वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
8.	समस्त सूचनापट्ट (अकादमी)		